[2020] 13 एस. सी. आर 732

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 13 एस सी आर।

ए.

एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय और

एएनआर।

वी.

जय भारत कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड ऑर्स।

बी.

(2020 की सिविल अपील संख्या 4016)

10 दिसंबर, 2020

[एस. ए. बोबडे, सीजेआई, ए. एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमणियन, जे. जे.]

सी.

एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2015:अधिनियमन का उद्देश्य-आयोजितःकेरल राज्य में तकनीकी शिक्षा को विनियमित करना।

एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2015:एस. 30 (2)-अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए सिंडिकेट की शक्ति-आयोजितःसिंडिकेट के लिए संबद्धता के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करने की शक्ति का स्रोत है।30(2) –एस. 30 (2) "अधिनियम और क़ानूनों के प्रावधानों के अधीन" शब्दों से शुरू होता है-इसलिए, यदि अधिनियम या क़ानूनों में कुछ ऐसा है जो सिंडिकेट की शक्ति को नियंत्रित करता है या नियंत्रित करता है, तो सिंडिकेट इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन से बाध्य हो सकता है-लेकिन यदि अधिनियम/क़ानूनों में कुछ भी नहीं है या यदि कोई क़ानून नहीं है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि शक्ति स्वयं अनुपलब्ध है-इसलिए, क़ानूनों की अनुपस्थिति, जब तक कि वे पहली बार 07.08.2020 पर नहीं बनाए गए थे, इसका मतलब यह नहीं था कि एस के तहत शक्ति।30(2) प्रयोग नहीं किया जा सका-क़ानूनों की अनुपस्थिति (07.08.2020 तक) का मतलब केवल संविधि-निर्धारित शर्तों और संबद्धता के लिए प्रक्रिया का अभाव होगा, लेकिन सिंडिकेट की शक्ति का अभाव नहीं होगा।30(2)(iii)-इस प्रकार, जब क़ानूनों ने संबद्धता के लिए कोई शर्त निर्धारित नहीं की है, लेकिन संबद्धता से संबंधित मामलों का ध्यान रखने के लिए इसे सिंडिकेट पर छोड़ दिया है, तो सिंडिकेट का

कार्य एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर मानदंडों और मानकों को निर्धारित करना है। 30(2), इसे किसी भी बंधन से मुक्त बनाया जाता है-उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की थी कि अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता प्रदान करने के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करने वाले सिंडिकेट द्वारा पारित प्रस्ताव अधिनियम-विश्वविद्यालयों-शिक्षा/शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार क्षेत्र से बाहर थे।एपीजे अब्दुल कलाम

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

732 ए.

733

एपीजे अब्दुल कलाम तकनीक। विश्वविद्यालय बनाम एम. जी. एम. टी. और ई. एन. जी. जी. का जय भारत महाविद्यालय। तकनीक।

तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2015:धारा 14 (6)-क्या उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि क़ानूनों के अभाव में, धारा 14 के तहत केवल कुलपति के लिए ही सहायता उपलब्ध थी।14(6) – आयोजित किया गयाःएस. 14 (6) में कहा गया है कि क़ानून के अभाव में, यह कुलपति है जिसके पास किसी भी मामले को विनियमित करने की शक्ति है जिसे क़ानूनों या विनियमों द्वारा विनियमित किया जाना आवश्यक है-इसकी व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि क़ानूनों के अभाव में सिंडिकेट स्वयं शक्तिहीन हो जाएगा और कुलपति के पास शक्ति होगी-किसी भी मामले में, एस की भाषा।14(6) ऐसा है कि कुलपति पहले निर्देश जारी करके मामले को विनियमित कर सकता है और उसके बाद राज्यपाल मंडल या अन्य संबंधित प्राधिकरण या निकाय के अनुमोदन के लिए "जितनी जल्दी हो सके" प्रस्तुत कर सकता है।30(2)(iii), सिंडिकेट को एस में संदर्भित "अन्य प्राधिकरण" के रूप में लिया जा सकता है।14(6) – इसलिए, कुलपति के लिए एस पर वापस आना आवश्यक नहीं था।14(6) इस आधार पर कि उस समय कोई क़ानून नहीं थे-उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि क़ानूनों के अभाव में, उपबंध केवल कुलपतियों के लिए ही उपलब्ध था।14(6), एक पल के लिए अनदेखी करते हुए कि एस के तहत शक्ति। 30(2)((ग) विधानों की अनुपस्थिति के कारण अनुचित नहीं होगा।

बी.

सी.

डी.

एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2015:विश्वविद्यालय बनाम ए. आई. सी. टी. ई. में अपीलार्थी की भूमिका-ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित प्रवेश के लिए मानदंडों और मानकों में वृद्धि-आयोजितःहालांकि यह विश्वविद्यालयों के लिए एआईसीटीई द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों को कम करने के लिए खुला नहीं है, यह हमेशा विश्वविद्यालयों के लिए उन्नत मानदंडों-विश्वविद्यालयों को निर्धारित करने के लिए खुला है।

ई.

विश्वविद्यालयःसंबद्धता के लिए किसी भी अतिरिक्त शर्त को शामिल करने के लिए विश्वविद्यालयों की शक्ति-मामले के कानूनों पर चर्चा की गई।

एफ.

ए. आई. सी. टी. ई.-2012 के बाद ए. आई. सी. टी. ई. में विकास-ए. आई. सी. टी. ई. विनियम, 2012 के आगमन के बाद, अनुमोदन के विस्तार के लिए आवेदनों को ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा केवल ऑनलाइन संसाधित किया जाता है, केवल कॉलेजों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदनों में किए गए स्व-प्रकटीकरण के आधार पर-हालांकि ए. आई. सी. टी. ई. ने स्वयं को निरीक्षण करने और झूठी घोषणाओं के लिए कॉलेजों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की शक्ति सुरक्षित रखी है, लेकिन इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई उन छात्रों के लिए किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है जो उन कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं जिनके पास केवल कागज पर आवश्यक बुनियादी ढांचा है और साइट पर नहीं है-ए. आई. सी. टी. ई. के विनियम इस बारे में चुप हैं कि छात्रों को कैसे मुआवजा मिलेगा।

जी.

एच.

ए.

जब उन कॉलेजों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है जो अपने आवेदनों में ऑनलाइन गलत जानकारी देते हैं।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** धारा **63 (2)** किसी संबद्ध महाविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान को अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता या मान्यता प्रदान करने से संबंधित है।यह प्रावधान मानदंडों और मानकों के निर्धारण से संबंधित नहीं है।धारा **30 (1)** सिंडिकेट, विश्वविद्यालय की कार्यकारी शक्तियों पर निहित है, जिसमें विश्वविद्यालय के संस्थानों पर सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण शामिल है।सिंडिकेट के लिए संबद्धता के लिए मानदंड और

मानक निर्धारित करने की शक्ति का स्रोत धारा **30 (2)** है।धारा **30 (2)** "अधिनियम और क़ानून के प्रावधानों के अधीन" शब्दों से शुरू होती है।इसलिए**,** यदि अधिनियम या क़ानूनों में कुछ ऐसा है जो सिंडिकेट की शक्ति को नियंत्रित या नियंत्रित करता है**,** तो सिंडिकेट इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन से बाध्य हो सकता है।लेकिन यदि अधिनियम/क़ानून में कुछ भी नहीं है या यदि कोई क़ानून बिल्कुल भी नहीं है**,** तो यह नहीं कहा जा सकता है कि शक्ति स्वयं अनुपलब्ध है।मानदंडों और मानकों को प्रस्तावित करने की सिंडिकेट की शक्ति अधिनियम से बाहर आती है न कि विश्वविद्यालय के कानूनों से।इसलिए**,** क़ानूनों की अनुपस्थिति**,** जब तक कि वे पहली बार **07.08.2020** पर नहीं बनाए गए थे**,** इसका मतलब यह नहीं था कि धारा **30 (2)** के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता था। **[**अनुच्छेद **28,34] [749-**ई**-**एफ**; 751-**जी**-**एच**; 752-**सी**-**ई**]** अधिनियम की धारा **42** जो क़ानूनों के मुद्दे और उन मामलों के बारे में बात करती है जिनके लिए प्रावधान किए जा सकते हैं

बी.

सी.

डी.

ई.

कानून**,** यह स्पष्ट करता है कि "कॉलेजों की संबद्धता और संबद्धता को वापस लेने के लिए शर्तें और प्रक्रियाएं

महाविद्यालय "**,** उन मामलों में से एक है जिसके लिए क़ानूनों में प्रावधान किया जा सकता है।इसलिए**,** क़ानून संबद्धता के लिए शर्तों और प्रक्रिया का प्रावधान कर सकते हैं।क़ानूनों की अनुपस्थिति **(07.08.2020** तक**)** का अर्थ केवल संविधि**-**निर्धारित शर्तों और संबद्धता के लिए प्रक्रिया का अभाव होगा**,** लेकिन धारा **30 (2) (iii)** से बाहर निकलने वाली सिंडिकेट की शक्ति का अभाव नहीं होगा।इसलिए**,** कुलपति के लिए इस आधार पर धारा **14 (6)** से पीछे हटना आवश्यक नहीं था कि उस समय कोई क़ानून नहीं थे।**[**पैरा **35] [752-**एफ**-**एच**]** ए

एफ.

जी.

एच.

एपीजे अब्दुल कलाम तकनीक। विश्वविद्यालय बनाम एम. जी. एम. टी. और ई. एन. जी. जी. का जय भारत महाविद्यालय। तकनीक।

1.3 धारा **14 (6)** में कहा गया है कि एक क़ानून के अभाव में, यह कुलपति है जिसके पास किसी भी मामले को विनियमित करने की शक्ति है जिसे क़ानून या विनियमों द्वारा विनियमित किया जाना आवश्यक है।इसकी व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि क़ानूनों के अभाव में सिंडिकेट स्वयं शक्तिहीन हो जाएगा और कुलपति के पास शक्ति होगी। किसी भी मामले में, धारा **14 (6)** की भाषा ऐसी है कि कुलपति पहले निर्देश जारी करके मामले को विनियमित कर सकते हैं और उसके बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या अन्य संबंधित प्राधिकरण या निकाय के अनुमोदन के लिए "जितनी जल्दी हो सके" प्रस्तुत कर सकते हैं। धारा **30 (2) (iii)** के आधार पर, सिंडिकेट को धारा **14 (6)** में निर्दिष्ट "अन्य प्राधिकरण" के रूप में लिया जा सकता है।यदि ऐसा किया जाता है, तो यह देखा जा सकता है कि यह उपकुलपति की अध्यक्षता में सिंडिकेट था, जिसने अपनी बैठकों में विवादित निर्णय लिए और इसलिए उपकुलपति की अध्यक्षता में सिंडिकेट द्वारा मानदंडों के निर्धारण को अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं कहा जा सकता है। **[**पैरा **36] [753-**ए-डी**]**

बी.

सी.

1.4 जब क़ानूनों ने संबद्धता के लिए कोई शर्त निर्धारित नहीं की है, लेकिन संबद्धता से संबंधित मामलों का ध्यान रखने के लिए इसे सिंडिकेट पर छोड़ दिया है, तो धारा **30 (2)** द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर मानदंडों और मानकों को निर्धारित करने का सिंडिकेट का कार्य किसी भी बंधन से मुक्त है।इसलिए, कुलपतियों की अध्यक्षता में आई**.** डी**. 1** पर आयोजित अपनी बैठक में सिंडिकेट द्वारा निर्धारित मानदंडों को अपवाद नहीं माना जा सकता था।आखिरकार, कॉलेजों ने जिन मानदंडों पर आपत्ति जताई है, वे केवल यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि निवर्तमान छात्रों में से कम से कम **50** प्रतिशत ने अपने-अपने पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण किया हो और संस्थान के पास पिछले तीन वर्षों में औसतन स्वीकृत प्रवेश के **50** प्रतिशत से अधिक का वास्तविक प्रवेश होने के अलावा "अच्छा" का सबसे हालिया शैक्षणिक लेखा परीक्षा समग्र अंक होना चाहिए।उच्च न्यायालय ने पहले मुद्दे पर यह निर्णय देने में गलती की कि अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता प्रदान करने के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करने वाले सिंडिकेट द्वारा पारित प्रस्ताव अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। **[**पारस **38,39,40] [754-**बी-सी**;** सी-डी**-;** ई-एफ**]2.** कानून अब काफी अच्छी तरह से तय हो गया है कि विश्वविद्यालयों के लिए एआईसीटीई द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों को कम करने के लिए खुला नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालयों के लिए हमेशा उन्नत मानदंडों को निर्धारित करने के लिए खुला है।**[**पैरा **47] [756-**जी-एच**]**

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

3.1 ए. आई. सी. टी. ई. विनियम, **2012** के आगमन के बाद, अनुमोदन के विस्तार के लिए आवेदनों को ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा केवल ऑनलाइन संसाधित किया जाता है, केवल कॉलेजों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदनों में किए गए स्व-प्रकटीकरण के आधार पर। यदि ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित सभी अवसंरचनात्मक सुविधाएं कागज पर उपलब्ध पाई जाती हैं (चाहे वे स्थल पर उपलब्ध हों या नहीं), तो ए. आई. सी. टी. ई. अनुमोदन का विस्तार प्रदान करता है।**2020-21** के लिए अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अध्याय **II** में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुमोदन का विस्तार स्व-प्रकटीकरण पर आधारित होगा।ए. आई. सी. टी. ई. के जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ **13** में खंड **2.15** का एक उद्धरण है।**4(**ख**)** ए. पी. एच. **2020-21,** जो पुष्टि करता है कि मूल्यांकन ए. आई. सी. टी. ई. वेब पोर्टल पर स्व-प्रकटीकरण पर आधारित है।**[**पारस **56,57] [760-**डी-ई**;** जी-एच**]**

बी.

सी.

3.2 हालांकि ए. आई. सी. टी. ई. ने गलत घोषणाओं के लिए निरीक्षण करने और कॉलेजों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की शक्ति अपने पास सुरक्षित रखी है, लेकिन इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है और उन छात्रों के लिए कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है जो उन कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं जिनके पास केवल कागज पर आवश्यक बुनियादी ढांचा होता है और साइट पर नहीं।ए. आई. सी. टी. ई. के विनियम इस बारे में चुप हैं कि छात्रों को मुआवजा कैसे मिलेगा, जब ए. आई. सी. टी. ई. को अपने आवेदनों में ऑनलाइन गलत जानकारी देने वाले कॉलेजों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। अंततः, यह विश्वविद्यालय हैं जो डिग्री जारी करने के लिए बाध्य हैं और जिनकी प्रतिष्ठा छात्रों के भाग्य और प्रदर्शन के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई है, जिन्हें संगीत का सामना करना पड़ सकता है और इसलिए उनकी भूमिका को कम नहीं किया जा सकता है।आज विश्वविद्यालयों को भी उनके द्वारा बनाए गए मानकों की गुणवत्ता के अनुसार स्थान दिया जा रहा है।**[**पैरा **58] [761-**ए-सी**]**

डी.

ई.

एफ.

आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। (2016) 7 एससीसी

353:[2016] 3 एस**.** सी**.** आर**. 579-**अनुसरण

भारतीदासन विश्वविद्यालय और एक अन्य बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा और अन्य परिषद (2001) 8

जी.

एससीसी 676:[2001] 3 पूरक।एससीआर 253; एसोसिएशन ऑफ

निजी महाविद्यालयों का प्रबंधन बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा और अन्य परिषद (2013) 8 एस. सी. सी. ए

एच.

737

एपीजे अब्दुल कलाम तकनीक। विश्वविद्यालय बनाम एम. जी. एम. टी. और ई. एन. जी. जी. का जय भारत महाविद्यालय। तकनीक।

271:[2013] 6 एससीआर **1054;** टी**.** एन**.** राज्य और एक अन्य बनाम एस**.** वी**.** ब्राथीप **(**माइनर**)** और अन्य **(2004) 4** एस**.** सी**.** सी**. 513:[2004] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1218;** विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और एक अन्य बनाम कृष्णेंदु हलदर और

अन्य (2011) 4 एस. सी. सी. 606:[2011] 2 एससीआर 1007;

महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और एक अन्य बनाम जिक्कू पॉल

बी.

और अन्य।(2011) 15 एस. सी. सी. 242-निर्भर

जय गोकुल एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम आयुक्त और सचिव, सरकारी उच्च शिक्षा विभाग, तिरुवनंतपुरम, केरल राज्य और अन्य (2000)

5 एस. सी. सी. 238:[2000] 2 एस. सी. आर. 1234; माता गुजरी स्मारक

सी.

मेडिकल कॉलेज बनाम बिहार राज्य और अन्य (2009) 16

एससीसी **309-**प्रतिष्ठित।

रूंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज, भिलाई और एक अन्य बनाम छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय

और दूसरा (2015) 11 एस. सी. सी. 291:[2014] 12 एससीआर 796-सही कानून नहीं

डी.

आर. चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य और अन्य ए. आई. आर 1964

एससी 1823:1964 एससीआर 368; ए. पी. बनाम राज्यके.

पुरुषोत्तम रेड्डी और अन्य **(2003) 9** एससीसी **564:[2003] 2** एससीआर **832;** उस्मानिया विश्वविद्यालय शिक्षक संघ बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और एक अन्य

ई.

(1987) 4 एससीसी 671:[1987] 3 एस. सी. आर. 949; भारती

विद्यापीठ (मानद विश्वविद्यालय) और अन्य बनाम राज्य

महाराष्ट्र और दूसरा (2004) 11 एस. सी. सी. 755:[2004]

2 एससीआर 775; टी. एन. राज्य और एक अन्य बनाम अधियामन शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान और अन्य (1995)

एफ.

4 एससीसी **104:[1995] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1075-**मामला कानून संदर्भ के लिए संदर्भित

1964 एस**.** सी**.** आर**. 368** पैरा **45 [2003] 2** एस**.** सी**.** आर**. 832** पैरा **46 [1987] 3** एस**.** सी**.** आर**. 949** पैरा **46 [2001] 3** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है। एस**.** सी**.** आर**. 253** पैरा **47 [2013] 6** एस**.** सी**.** आर**. 1054** पैरा **47** पर निर्भर था।

जी.

एच.

738 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 13 एस. सी. आर.

ए.

[2004] 2 एस**.** सी**.** आर**. 1218** पैरा **48 [2011] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1007** पर निर्भर था पैरा **48 (2011) 15** एस**.** सी**.** सी**. 242** पैरा **49 [2016] 3** एस**.** सी**.** आर**. 579** पर निर्भर था पैरा **49 [2004] 2** एस**.** सी**.** आर**. 775** पैरा **49 [2000] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1234** विशिष्ट पैरा **50 (2009) 16** एस**.** सी**.** सी**. 309** विशिष्ट पैरा **50 [2014] 12** एस**.** सी**.** आर**. 796** सही नहीं कानून पैरा **50 [1995] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1075** पैरा **53** पर संदर्भित

बी.

सी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2020 की सिविल अपील संख्या 4016

2020 के डब्ल्यू. ए. सं. 1073 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 08.09.2020 के निर्णय और आदेश से।

डी.

चंदर उदय सिंह, पी. एस. नरसिम्हा, सी. अरयामा सुंदरम, गोपाल शंकरनारायणन, वरिष्ठ अधिवक्ता।, पी. वी. दिनेश, मुकुंद पी. उन्नी, टी. पी. सिंधु, बिनेश के., अश्विनी सिंह, के. वी. मोहन, अनिल सोनी, हरीश पांडे, सुश्री प्रियंका प्रकाश, सुश्री बीना प्रकाश, जी. प्रकाश, हरीश शंकर वैद्यनाथन, रवि पंवार और कौशिक लाइक, अधिवक्ता।, उपस्थित दलों के लिए।

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वी**.** रामसुब्रमण्यन**,** जे**.**

1.अनुमति प्रदान की गई।

एफ.

2. केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर विश्वविद्यालय के कुलपति को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (जिसे इसके बाद "ए. आई. सी. टी. ई".. के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा दी गई मंजूरी के विस्तार के आधार पर, पहले प्रत्यर्थी जो एक स्व-वित्तपोषित इंजीनियरिंग कॉलेज है, द्वारा प्रस्तुत एक नए पाठ्यक्रम की संबद्धता के लिए आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश देते हुए, ए. पी. जे. अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो एक राज्य विश्वविद्यालय है और इसके कुलपति ने यह अपील की है।3. हमने सुना है कि श्री चंदर उदय सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता जो अपीलार्थी-विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए, श्री एस. कृष्णमूर्ति, विद्वान ए.

जी.

एच.

739

एपीजे अब्दुल कलाम तकनीक। विश्वविद्यालय बनाम एम. जी. एम. टी. और ई. एन. जी. जी. का जय भारत महाविद्यालय। तकनीक। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

प्रथम प्रतिवादी-कॉलेज की ओर से पेश अधिवक्ता, सुश्री प्रियंका प्रकाश, द्वितीय प्रतिवादी-राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता और श्री अनिल सोनी, तीसरे प्रतिवादी-ए. आई. सी. टी. ई. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता। हमने श्री सी. अरयामा सुंदरम, श्री गोपाल शंकरनारायणन और श्री पी. एस. नरसिम्हा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को भी सुना है जो हस्तक्षेप/अभियोग और ठहरने की छुट्टी की मांग करने वाले आवेदकों की ओर से पेश हुए।

बी.

4. ऐसा प्रतीत होता है कि पड़ोसी राज्यों में स्व-वित्तपोषित इंजीनियरिंग संस्थानों के बड़े पैमाने पर विकास के बावजूद, केरल राज्य में वर्ष 1997 तक केवल 4844 छात्रों के वार्षिक प्रवेश के साथ केवल 15 इंजीनियरिंग कॉलेज थे।लेकिन पिछले दो दशकों से अधिक समय में राज्य में स्व-वित्तपोषित इंजीनियरिंग संस्थानों के विकास में तेजी आई है।आज की तारीख में स्थिति यह है कि केरल राज्य में कुल 47,420 सीटों के वार्षिक स्वीकृत प्रवेश के साथ 149 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं।

सी.

5. इसके अलावा, राज्य में छह केंद्र सरकार के इंजीनियरिंग संस्थान भी हैं।

डी.

6. इसलिए, राज्य में तकनीकी शिक्षा को विनियमित करने की दृष्टि से, केरल राज्य ने एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2015 (जिसे इसके बाद "विश्वविद्यालय अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) लागू किया।अधिनियम की धारा 5 में दर्शाए गए विश्वविद्यालय के कुछ उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

ई.

“XXXX

(ख) इंजीनियरिंग विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन में स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रमों के शैक्षणिक मानकों में सुधार करना।

एफ.

(ग) विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों और संस्थानों के शैक्षणिक मानकों को सुनिश्चित करना।

XXXXX

(के) इंजीनियरिंग अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कॉलेजों और संस्थानों में स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान कार्यक्रमों में नामांकन में काफी वृद्धि करना;

जी.

(विशिष्ट विषयगत क्षेत्रों में बहु-विषयक अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना में सहायता करना।

एच.

740

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 13 एस सी आर।

(एम) संकाय की शैक्षणिक गुणवत्ता और मानकों में लगातार और लगातार सुधार और उन्नयन करके छात्रों के सीखने के कौशल में सुधार करना;

(एन) तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नवीन व्यवस्थित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों को शुरू करना और बनाए रखना।"7. धारा 8 में सूचीबद्ध विश्वविद्यालय की शक्तियों और कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

बी.

"XXXXXX

((ग) विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए महाविद्यालयों और केंद्रों की स्थापना, रखरखाव, प्रशासन, पर्यवेक्षण और मान्यता के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करना।

सी.

((iv) इस अधिनियम और कानूनों, अध्यादेशों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार शैक्षणिक स्वायत्तता वाले घटक महाविद्यालयों या स्वायत्त महाविद्यालयों या नियमित महाविद्यालयों या महाविद्यालयों के रूप में अपने संस्थानों को संबद्ध करना और विश्वविद्यालय के कानूनों का उल्लंघन करते हुए प्राप्त महाविद्यालयों की संबद्धता को वापस लेना।; (v) संबद्ध महाविद्यालयों, संस्थानों या संबद्ध महाविद्यालयों या संस्थानों के किसी

विभाग या विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए किसी विभाग को शैक्षणिक स्वायत्तता प्रदान करना।

डी.

XXXXXXX

ई.

(vii) परीक्षा आयोजित करना और उन व्यक्तियों को डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक सम्मान प्रदान करना जो -

(क) विश्वविद्यालय या उसके अधीन किसी महाविद्यालय या संस्थान में अध्ययन का एक निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा किया होगा और विश्वविद्यालय की निर्धारित परीक्षाओं को तब तक उत्तीर्ण किया होगा जब तक कि उन्हें निर्धारित तरीके से छूट न दी गई हो; या (ख) निर्धारित शर्तों के तहत संतोषजनक रूप से शोध किया होगा और जिसका विधिवत मूल्यांकन किया गया है;

एफ.

जी.

(xiv) संबद्ध महाविद्यालयों के निरीक्षण का प्रावधान करना और ऐसे निर्देश जारी करना जो विश्वविद्यालय उचित समझे;

XXXXXXXX A

एच.

741

एपीजे अब्दुल कलाम तकनीक। विश्वविद्यालय बनाम एम. जी. एम. टी. और ई. एन. जी. जी. का जय भारत महाविद्यालय। तकनीक। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

(xviii) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त जांच समिति को जनहित में उन कॉलेजों या संस्थानों के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने के लिए सरकार से सिफारिश करना, जहां ऐसे कॉलेज या संस्थान के प्रबंधन द्वारा अनियमितताएं या आपराधिक प्रकृति की लापरवाही प्रथम दृष्टया स्पष्ट है।"

8. धारा 60 से 66 संबद्धता और मान्यता, अनुमति के लिए प्रक्रिया, संबद्धता को जारी रखने, संबद्धता को वापस लेने आदि का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 60, जो उन शर्तों को निर्धारित करती है जिनके अधीन विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान की जा सकती है, निम्नानुसार हैः

बी.

60. संबद्धता और मान्यता।- (1) विश्वविद्यालय संबद्ध हो सकता है।

सी.

केरल सरकार या सरकारी नियंत्रित समितियों, निजी सहायता प्राप्त और निजी गैर-सहायता प्राप्त स्व-वित्तपोषित शैक्षणिक एजेंसियों के स्वामित्व वाली प्रौद्योगिकी में शिक्षा प्रदान करने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों या संस्थानों में से कोई भी, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले केरल राज्य के मानद विश्वविद्यालयों को छोड़कर विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध रहे।

डी.

बशर्ते कि वे इस अधिनियम, अध्यादेशों और संबद्धता के लिए कानूनों के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, जिसमें संकाय, प्रशासनिक तंत्र, बुनियादी ढांचे (भवन, प्रयोगशालाएं आदि) की उपलब्धता शामिल है, जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

ई.

इस अधिनियम के प्रावधान। निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले ऐसे कॉलेज विश्वविद्यालय से (i) नियमित कॉलेज या (ii) स्वायत्त कॉलेज (iii) शैक्षणिक स्वायत्तता वाले कॉलेज या (iv) संस्थानों के रूप में संबद्ध हो सकते हैं।मानित विश्वविद्यालयों को छोड़कर राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में ऐसे संस्थानों की संबद्धता इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से विश्वविद्यालय को हस्तांतरित की जाएगी, बशर्ते कि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के संबंध में इन कॉलेजों या संस्थानों की संबद्धता तब तक जारी रहे जब तक कि छात्रों के उन समूहों ने अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लिया, ऐसे सभी छात्रों की परीक्षा उन विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित की जाएगी जिनसे वे संबद्ध थे, डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा या अन्य सम्मान ऐसे विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाएंगेः

एफ.

जी.

बशर्ते कि राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा अपने विभागों के रूप में बनाए गए तकनीकी शाखा के संस्थान या उनके संबंधित घटक कॉलेज या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज या शिक्षण संस्थान और राष्ट्रीय

एच.

केंद्र सरकार द्वारा साबित संस्थान विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएंगे।

(2) संबद्धता या मान्यता के लिए आवेदन करने वाली और जिसके कॉलेज या संस्थान को संबद्धता या मान्यता दी गई है, वह शैक्षिक एजेंसी निम्नलिखित वचन देगी और उसका पालन करेगीः- (i) कि इस अधिनियम के प्रावधानों, या राज्य में इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी अन्य अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों और विश्वविद्यालय के कानूनों, अध्यादेशों, विनियमों, स्थायी आदेशों और निर्देशों का पालन किया जाएगा;

बी.

सी.

((ii) सरकार या विश्वविद्यालय से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले किसी संबद्ध महाविद्यालय या महाविद्यालयों के समूह के लिए एक अलग शासी निकाय या प्रबंध परिषद होगी; (iii) अध्ययन के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या विश्वविद्यालय, सरकार, केंद्रीय या राज्य परिषदों या संबंधित विषय में प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमाओं से अधिक नहीं होगी; (iv) कानून, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा निर्धारित भवन, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, शिक्षण और अनुसंधान के लिए आवश्यक उपकरण, छात्रावास और अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसी उपयुक्त और पर्याप्त भौतिक सुविधाएं होंगी।

डी.

ई.

((v) कि महाविद्यालय या संस्थान के वित्तीय संसाधन ऐसे होंगे जो इसके निरंतर रखरखाव और कार्य के लिए उचित प्रावधान करें।

एफ.

((vi) कि संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की क्षमता और योग्यता और संबद्ध महाविद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन और सेवा के नियम और शर्तें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएं और जो अध्ययन, शिक्षण या प्रशिक्षण या अनुसंधान के पाठ्यक्रमों के लिए कुशलता से उचित प्रावधान करने के लिए पर्याप्त हों;

जी.

(vii) कि सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाएं और संबद्ध होने वाले महाविद्यालय की सुविधाएं परीक्षा आयोजित करने और विश्वविद्यालय की अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी;

एच.

743

एपीजे अब्दुल कलाम तकनीक। विश्वविद्यालय बनाम एम. जी. एम. टी. और ई. एन. जी. जी. का जय भारत महाविद्यालय। तकनीक। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

(viii) कि कुलाधिपति, कुलपति और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों द्वारा इस अधिनियम, क़ानून, अध्यादेश और विनियमों या इस संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए निर्देशों और आदेशों का पालन किया जाएगा;

बी.

((ix) विश्वविद्यालय की पूर्व मंजूरी के बिना महाविद्यालय के प्रबंधन या स्वामित्व का कोई हस्तांतरण नहीं होगा।

(x) कि विश्वविद्यालय की पूर्व मंजूरी के बिना कॉलेज या संस्थान को बंद नहीं किया जाएगा;

सी.

(xi) कि महाविद्यालय या संस्थान की मान्यता रद्द करने या मान्यता रद्द करने या बंद करने की स्थिति में, सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान सहायता के रूप में भुगतान की गई राशि से निर्मित या निर्मित भवन और उपकरणों सहित महाविद्यालय या संस्थान की सभी परिसंपत्तियां सरकार में निहित होंगी।

डी.

9. जबकि ऊपर निकाली गई धारा 60, विस्तार से बताती है, मानदंड और वे शर्तें जिनके अधीन किसी संस्थान को संबद्धता दी जा सकती है, विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 63 संबद्धता को जारी रखने की प्रक्रिया को इंगित करती है।वह इस प्रकार हैः

ई.

63. संबद्धता की निरंतरता।- (1) संबद्ध महाविद्यालय या

मान्यता प्राप्त संस्थान अध्ययन के उन पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता या मान्यता जारी रखने के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके लिए संबद्धता या मान्यता ऐसी संबद्धता या मान्यता की

समाप्ति की तारीख से सामान्य रूप से छह महीने पहले दी गई थी।विश्वविद्यालय संबद्धता जारी रखने के अनुदान के लिए क़ानूनों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।

एफ.

(2) संबद्ध महाविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान अध्ययन के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता या मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस संबंध में क़ानूनों में निर्धारित प्रक्रियाओं या नियमों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा इस पर विचार किया जाएगा।

जी.

(3) एक संबद्ध कॉलेज के रूप में कम से कम छह साल के साथ एक संबद्ध कॉलेज स्थायी संबद्धता के लिए आवेदन कर सकता है

एच.

जो विधानों में विहित किया जाए और विश्वविद्यालय ऐसे आवेदनों पर ऐसी रीति से विचार करेगा जो विहित की जाए।10. पहला प्रत्यर्थी एक स्व-वित्तपोषित संस्थान है जो पहले प्रत्येक विषय में 60 छात्रों के वार्षिक अनुमत प्रवेश के साथ पांच विषयों में B.Tech पाठ्यक्रमों की पेशकश कर रहा था।एक विशेष विषय में पाठ्यक्रम बंद करने के बाद, पहले प्रत्यर्थी ने फरवरी/मार्च-2020 में एक नया पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए ए. आई. सी. टी. ई. की मंजूरी के लिए आवेदन किया।

बी.

“आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस "अनुमति प्राप्त वार्षिक के साथ

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से 60 छात्रों का प्रवेश।आवेदन ए. आई. सी. टी. ई. अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2020-21 के अनुसार था, जो ए. आई. सी. टी. ई. (तकनीकी संस्थानों के लिए अनुमोदन अनुदान) विनियम, 2020 के संदर्भ में जारी किया गया था।

सी.

11. आई. डी. 1 पर, ए. आई. सी. टी. ई. ने मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए अनुमोदन का विस्तार देते हुए भी, नए प्रस्तावित पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए पहले प्रत्यर्थी को मंजूरी दे दी।

12. ए. आई. सी. टी. ई. को आवेदन जमा करने के साथ-साथ, पहले प्रत्यर्थी ने फरवरी/मार्च 2020 में अपीलार्थी-विश्वविद्यालय से संबद्धता के लिए एक आवेदन भी जमा किया।प्रथम प्रत्यर्थी ने निरीक्षण शुल्क/संबद्धता शुल्क का भी भुगतान किया।

डी.

13. लेकिन इससे पहले कि पहले प्रत्यर्थी ने एक नया पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया, केरल राज्य में कुछ हुआ।ऐसा लगता है कि अकादमिक विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि स्व-वित्तपोषित इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों के वास्तविक प्रवेश में लगातार गिरावट आई है।शैक्षणिक वर्ष के लिए 58,165 छात्रों के स्वीकृत प्रवेश की तुलना में केवल 37,007 छात्रों को प्रवेश दिया गया और 19,468 सीटें खाली रह गईं। शैक्षणिक वर्ष में रिक्त सीटों की संख्या बढ़कर 20,038 और शैक्षणिक वर्ष 2017-18 में 22,819 हो गई। 14.इसलिए, अकादमिक विशेषज्ञों के समूह द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर, सरकार ने जी. ओ. में एक आदेश जारी किया। (आरटी) No.1039 2019/एचईडीएन दिनांकित 22.06.2019।इस आदेश द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि इंजीनियरिंग में नए पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब तीन शर्तें पूरी हों अर्थात्:((i) महाविद्यालय के पास एन. बी. ए. मान्यता होनी चाहिए; (ii) पिछले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश स्वीकृत प्रवेश के 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए; और (iii) कि नया पाठ्यक्रम अभिनव होना चाहिए।

ई.

एफ.

जी.

एच.

745

एपीजे अब्दुल कलाम तकनीक। विश्वविद्यालय बनाम एम. जी. एम. टी. और ई. एन. जी. जी. का जय भारत महाविद्यालय। तकनीक। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

ए.

15. उक्त सरकारी आदेश के बाद, अपीलार्थी-विश्वविद्यालय के सिंडिकेट ने शैक्षणिक परिषद की सिफारिश के आधार पर नए कार्यक्रमों को संबद्धता देने के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित करने के लिए 04.02.2020 पर आयोजित अपनी बैठक में संकल्प लिया:(i) कि मौजूदा कार्यक्रमों में से कम से कम एक में एन. बी. ए. मान्यता होनी चाहिए; (ii) कि पिछले तीन वर्षों के लिए संस्थान का औसत वार्षिक प्रवेश स्वीकृत प्रवेश के 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए; (iii) कि प्रस्तावित कार्यक्रम को राज्य सरकार से ए. आई. सी. टी. ई.

अनुमोदन और एन. ओ. सी. होना चाहिए; और (iv) कि प्रस्तावित कार्यक्रम में उद्योग की मांग/रोजगार की क्षमता होनी चाहिए।

बी.

16. इसके बाद, नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आवेदन जमा करने वाले संबद्ध कॉलेजों के लिए नए पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के लिए संबद्धता की सिफारिश करने के उद्देश्य से एक उप-समिति का गठन किया गया था।इस उप-समिति ने 20.03.2020 पर आयोजित अपनी बैठक में विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के विचार के लिए निम्नलिखित मानदंडों का सुझाव देने का संकल्प लियाः-

सी.

डी.

1. उप-समिति ने नए कार्यक्रमों/अतिरिक्त प्रवेश को संबद्धता देने के लिए विभिन्न कॉलेजों से 19-03-2020 तक प्राप्त सभी 50 प्रस्तावों की जांच की।ऊपर बताए गए सिंडिकेट द्वारा सुझाए गए मानदंडों के अनुरूप प्रत्येक आवेदन की जांच करने पर, 21 संस्थान पात्र पाए जाते हैं।इन 21 संस्थानों और आवेदन किए गए कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों का विवरण अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न किया गया है। तदनुसार, उप-समिति अनुशंसा करती है कि संबद्धता प्रदान करने के लिए एन. ओ. सी. जारी करने के लिए सिंडिकेट द्वारा नए कार्यक्रम/अतिरिक्त प्रवेश शुरू करने के लिए इन 21 संस्थानों के प्रस्तावों पर अनुकूल रूप से विचार किया जाए।

ई.

2. उप-समिति अनुशंसा करती है कि उचित नीतिगत निर्णयों के लिए बी. वी. ओ. सी. पाठ्यक्रमों के लिए आवेदनों पर सिंडिकेट द्वारा विचार किया जाए।

एफ.

3. उप-समिति अनुशंसा करती है कि बीवीओसी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदनों पर सिंडिकेट द्वारा विचार किया जाए/उचित नीतिगत निर्णयों के लिए मामले को तकनीकी शिक्षा निदेशक के पास भेजा जाए।4. उप-समिति ने दो मामलों की पहचान की जिसमें संस्थानों को एन. बी. ए. मान्यता प्राप्त है लेकिन प्रतिशत सेवन 50 से कम है।इन दोनों मामलों को उचित निर्णय के लिए सिंडिकेट को भेजा जाता है।

जी.

एच.

5. उप-समिति ने सिफारिश की है कि अनुलग्नक 1 में सूचीबद्ध पाठ्यक्रमों के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम शुरू होने से पहले समयबद्ध तरीके से तैयार किए जाने चाहिए।

17. यह पाते हुए कि सरकारी आदेश जी. ओ. (आर. टी.) No.1039, दिनांक 22.06.2019 और सिंडिकेट दिनांक 04.02.2020 के प्रस्ताव ने उप-समिति द्वारा उनके प्रस्तावित नए पाठ्यक्रम के लिए संबद्धता के अनुदान की सिफारिश नहीं करने के साथ एक प्रतिकूल माहौल पैदा कर दिया है, पहले प्रतिवादी-कॉलेज ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष 2020 की रिट याचिका (सी) No.12709 में एक रिट याचिका दायर की।ऐसा प्रतीत होता है कि रिट याचिका 23.06.2020 पर दायर की गई थी, जिसमें निम्नलिखित राहतों की मांग की गई थीः(i) दिनांक 22.06.2019 के सरकारी आदेश को दरकिनार करना; (ii) विश्वविद्यालय को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए नए प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए संबद्धता प्रदान करने का निर्देश देना; (iii) दिनांक 10.06.2020 के विश्वविद्यालय के कुलसचिव के आदेश द्वारा सूचित सिंडिकेट के प्रस्ताव को रद्द करना; (iv) विश्वविद्यालय को एन. बी. ए. मान्यता पर जोर दिए बिना और राज्य सरकार से एन. ओ. सी. पर जोर दिए बिना प्रस्तावित पाठ्यक्रम की संबद्धता के लिए आवेदन पर विचार करने का निर्देश देना; और (v) उप-समिति की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी मानदंड पर जोर दिए बिना नए प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए संबद्धता प्रदान करना।

बी.

सी.

डी.

18. सरासर संयोग से, अपीलार्थी-विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की 13 वीं बैठक 24.06.2020 पर आयोजित की गई थी, जिस दिन पहले प्रत्यर्थी कॉलेज ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की थी।इस सिंडिकेट बैठक की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति ने की।इसमें कुल नौ व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें से एक केरल सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव थे और दूसरा तकनीकी शिक्षा निदेशक था।बाकी शिक्षाविद थे। इस बैठक में, सिंडिकेट ने उन कॉलेजों की सूची की जांच की जिन्होंने बिना किसी एन. बी. ए. मान्यता के नए पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के लिए आवेदन किया था।यह देखते हुए कि जिन कॉलेजों के पास एन. बी. ए. मान्यता नहीं थी, उन्हें भी ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा मंजूरी दी गई थी, सिंडिकेट ने 24.06.2020 पर आयोजित अपनी बैठक में संकल्प लिया कि एन. बी. ए. मान्यता के बिना कॉलेजों को भी संबद्धता दी जा सकती है, बशर्ते कि निम्नलिखित मानदंडों की संतुष्टि हो।(i) संबद्धता के लिए आवेदन के समय निवर्तमान छात्रों के लिए संस्थान 50 प्रतिशत से अधिक उत्तीर्ण होना चाहिए; (ii) संस्थान के पास "अच्छा" का सबसे

हालिया शैक्षणिक लेखा परीक्षा समग्र स्कोर होना चाहिए; और (iii) कि संस्थान के पास स्वीकृत प्रवेश के 50 प्रतिशत से अधिक का तीन साल का औसत प्रवेश होना चाहिए।

ई.

एफ.

जी.

एच.

747

एपीजे अब्दुल कलाम तकनीक। विश्वविद्यालय बनाम एम. जी. एम. टी. और ई. एन. जी. जी. का जय भारत महाविद्यालय। तकनीक। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

ए.

19. यद्यपि प्रथम प्रत्यर्थी ने विश्वविद्यालय के दिनांकित 10.06.2020 के आदेश को चुनौती देते हुए 23.06.2020 पर रिट याचिका दायर की और यद्यपि पूर्व सिंडिकेट प्रस्ताव दिनांकित 04.02.2020 (जिस पर कुलसचिव का दिनांकित 10.06.2020 का आदेश आधारित था) अगले सिंडिकेट प्रस्ताव दिनांकित 24.06.2020 द्वारा संशोधित किया गया था, प्रथम प्रत्यर्थी ने प्रार्थना में किसी भी संशोधन की मांग नहीं की।इसका शुद्ध परिणाम यह हुआ कि रिट याचिका पर सुनवाई होने तक (विश्वविद्यालय के) आदेशों में से एक में संशोधन हो गया था, लेकिन संशोधन को चुनौती नहीं दी गई थी।

बी.

20. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में एक नया B.Tech पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए संबद्धता से इनकार को चुनौती देने वाली प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका को अन्य कॉलेजों द्वारा दायर इसी तरह की रिट याचिकाओं के साथ लिया गया था (जिसमें कॉलेज द्वारा दायर याचिकाएं भी शामिल हैं, जो अब हस्तक्षेप/अभियोग और अंतरिम आदेश को हटाने के लिए आवेदन लेकर आए हैं) और उन सभी का निपटारा उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 06.08.2020 के फैसले द्वारा किया गया था।उक्त निर्णय द्वारा, विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित कियाः(i) कि धारा 30 (2) (xiv) के साथ पठित विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 14 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सिंडिकेट को संबद्धता के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए अधिकार की कमी नहीं कहा जा सकता है; (ii) कि सिंडिकेट द्वारा अपने संकल्प दिनांक 04.02.2020 में निर्धारित मानदंड, जैसा कि 10.06.2020 के पंजीयक के आदेश द्वारा सूचित किया गया है, दोनों कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों पर लागू होंगे; (iii) कि सिंडिकेट के संकल्प दिनांक 24.06.2020 को देखते हुए, राज्य सरकार से एन. ओ. सी. और एन. बी. ए. मान्यता की आवश्यकता नहीं है; (iv) इसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकार के दिनांकित 22.06.2019 आदेश को दरकिनार कर दिया

जाना चाहिए; और (v) कि विश्वविद्यालय को एक पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अनुलग्नक 1 में पारंपरिक विषयों में अतिरिक्त सीटों के निर्माण को हतोत्साहित करने के लिए एक सिफारिश शामिल थी, लेकिन पारंपरिक विषयों में वर्तमान क्षमता को उभरती नई तकनीकों में बदलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। अनुलग्नक 14 के खंड 7 ने प्रवेश में वृद्धि/नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मान्यता को अनिवार्य बना दिया।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

21. दी गई आंशिक राहत और विद्वान न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देशों से संतुष्ट नहीं, पहले प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष 2020 की रिट अपील No.1073 में एक रिट अपील दायर की।

एच.

अदालत।अन्य कॉलेज जो रिट याचिकाकर्ता थे, उन्होंने भी अलग-अलग रिट अपील दायर की।

22. इस अपील में आक्षेपित दिनांक 1 के सामान्य निर्णय द्वारा, खंड पीठ ने आंशिक रूप से रिट अपीलों की अनुमति दी, जिसमें कहा गया थाः(i) कि सिंडिकेट के पास दिनांक 04.02.2020 (जैसा कि 10.06.2020 पर सूचित किया गया है) और 24.06.2020 के निर्णय लेने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि उस तारीख को कोई विश्वविद्यालय क़ानून लागू नहीं था और क़ानून के अभाव में, अकेले कुलपति के पास अधिनियम की धारा 14 (6) के तहत संबद्धता के मामले में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को कोई सिफारिश करने की शक्ति थी; और (ii) कि विश्वविद्यालय AICTE विनियमों से परे नहीं जा सकता है।

बी.

सी.

23. केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ के उक्त फैसले से व्यथित विश्वविद्यालय ने उपरोक्त अपील दायर की है।बार में यह कहा गया है कि अपीलार्थी-विश्वविद्यालय ने उसी विवादित फैसले के खिलाफ इसी तरह की अपील दायर की है और उन अपीलों की गिनती की जानी बाकी है।

डी.

24. यद्यपि विद्वान एकल न्यायाधीश ने कई मुद्दों पर विचार किया, डिवीजन बेंच का ध्यान मुख्य रूप से दो मुद्दों पर था अर्थात्:((i) संबद्धता प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित करने की सिंडिकेट की शक्ति; और (ii) एआईसीटीई विनियमों से परे जाने की विश्वविद्यालय की शक्ति।

ई.

25. सिंडिकेट की शक्ति के इर्द-गिर्द घूमने वाले पहले मुद्दे पर, उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 63 (2) के तहत, एक कॉलेज द्वारा किए गए अध्ययन के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता या मान्यता के लिए आवेदन, जो पहले से ही संबद्धता रखता है, पर विश्वविद्यालय द्वारा कानूनों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए विचार किया जाना चाहिए।मान लीजिए कि पहला विश्वविद्यालय क़ानून केवल 07.08.2020 पर जारी किया गया था।इसलिए उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि जिस तारीख को महाविद्यालयों द्वारा अध्ययन के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता के लिए आवेदन किए गए थे और विश्वविद्यालय द्वारा संसाधित किए गए थे, उस तारीख को विश्वविद्यालय का कोई क़ानून नहीं था।इसलिए डिवीजन बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसी परिस्थितियों में उपलब्ध एकमात्र विकल्प जहां कोई क़ानून नहीं था, कुलपति के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 14 (6) के तहत उपलब्ध शक्ति का सहारा लेना था। लेकिन उच्च न्यायालय की राय में इस शक्ति का प्रयोग कुलपति द्वारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी से किया जाना चाहिए।चूंकि ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए खंड पीठ ने धारा 14 (6) के तहत उपलब्ध कार्रवाई का पालन करने के लिए मामले को कुलपति को वापस भेज दिया।

एफ.

जी.

एच.

749

एपीजे अब्दुल कलाम तकनीक। विश्वविद्यालय बनाम एम. जी. एम. टी. और ई. एन. जी. जी. का जय भारत महाविद्यालय। तकनीक। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

ए.

26. इस स्तर पर यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि संबद्धता के लिए मानदंडों और मानकों को निर्धारित करने की सिंडिकेट की शक्ति, जो उसने अपने प्रस्तावों के अनुसार की थी, को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अधिनियम की धारा 30 (2) (xiv) को पढ़ने पर बरकरार रखा गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय 06.08.2020 पर दिया गया था, जिसमें अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालय के कानूनों के अभाव में भी सिंडिकेट की शक्ति को बरकरार रखा गया था। हालाँकि, अगले ही दिन 07.08.2020, विश्वविद्यालय के पहले क़ानून भी जारी किए गए।
27. इसलिए, जब कॉलेजों ने रिट अपील दायर की और क़ानूनों के अभाव में धारा 14 (6) के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में तर्क दिया, तो अपीलार्थी-विश्वविद्यालय ने 07.08.2020 पर जारी क़ानूनों और अनुसमर्थन की शक्ति पर भरोसा किया।क़ानून No.93 को डिवीजन बेंच के ध्यान में लाया गया था ताकि यह दिखाया जा सके कि संबद्धता से संबंधित सभी मामले सिंडिकेट की शक्तियों के दायरे में आते हैं।लेकिन डिवीजन बेंच ने न केवल अनुसमर्थन के तर्क को खारिज कर दिया, बल्कि क़ानून No.93 पर इस आधार पर रखी गई निर्भरता को भी खारिज कर दिया कि क़ानून No.93 के तहत शक्ति केवल किसी शिक्षण पाठ्यक्रम या किसी भी विषय की संबद्धता के अनुदान से संबंधित हो सकती है।

बी.

सी.

डी.

28. लेकिन हमें नहीं लगता कि खंड पीठ द्वारा धारा 63 (2) में निहित प्रिस्क्रिप्शन और धारा 14 (6) के तहत कुलपति की शक्तियों के संबंध में लिया गया दृष्टिकोण विश्वविद्यालय अधिनियम की योजना के अनुरूप है। धारा 63 (2) जिसे हम पहले ही ऊपर पैराग्राफ 9 में निकाल चुके हैं, वास्तव में किसी संबद्ध कॉलेज या मान्यता प्राप्त संस्थान को अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता या मान्यता प्रदान करने से संबंधित है।यह प्रावधान मानदंडों और मानकों के निर्धारण से संबंधित नहीं है।डिवीजन बेंच ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि अदालत के समक्ष जो मुद्दा था वह सिंडिकेट द्वारा पारित एक प्रस्ताव था, जो पहले 04.02.2020 पर था जैसा कि दिनांक 10.06.2020 और फिर 24.06.2020 पर पंजीयक के आदेश द्वारा सूचित किया गया था।दूसरे शब्दों में, महाविद्यालयों द्वारा दायर रिट याचिकाओं में जो सवाल था, वह केवल अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिए अनुदान या संबद्धता से इनकार करने का व्यक्तिगत कार्य नहीं था।चुनौती अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता प्रदान करने के लिए सिंडिकेट द्वारा दिनांकित 04.02.2020 और 24.06.2020 की अपनी बैठकों में निर्धारित मानदंडों के लिए थी।धारा 63 (2) मानदंडों और मानकों को निर्धारित करने के मुद्दे से संबंधित नहीं है, बल्कि केवल क़ानूनों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता के अनुदान से संबंधित है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

750

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 13 एस सी आर।

29. जिस तरह से उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने धारा 14 (6) का अर्थ लगाया, वह भी सही नहीं है।धारा 14 की उप-धाराओं (5), (6) और (14) को निकालना उपयोगी होगा।वे इस प्रकार पढ़ते हैं:

“14. कुलपति की शक्तियाँ

XXXX

बी.

(5) यदि कुलपति के लिए यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि कोई आपात स्थिति है जिसके लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो वह ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह आवश्यक समझे, और अगली बैठक में अनुमोदन के लिए, आपातकाल के लिए आधार और उसके द्वारा की गई कार्रवाई, ऐसे प्राधिकरण या निकाय को प्रस्तुत करेगा जो सामान्य रूप से मामले से निपटता।कुलपति और प्राधिकारी के बीच, ऐसी आपात स्थिति के अस्तित्व के मुद्दे पर, या प्राधिकरण पर, ऐसी आपात स्थिति के अस्तित्व के मुद्दे पर, या की गई कार्रवाई या दोनों पर मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में, मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

सी.

डी.

(6) जहां किसी मामले को क़ानूनों या विनियमों द्वारा विनियमित किया जाना आवश्यक है, लेकिन उस ओर से कोई क़ानून या विनियम नहीं बनाए गए हैं, वहां कुलपति कुछ समय के लिए ऐसे निर्देश जारी करके मामले को विनियमित करेगा जो कुलपति आवश्यक समझते हैं, और उन्हें जितनी जल्दी हो सके, राज्यपाल मंडल या अन्य संबंधित प्राधिकरण या निकाय के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

ई.

(14) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम और कानूनों द्वारा या उनके तहत कुलपति को प्रदान किए जा सकते हैं।"

एफ.

30. धारा 14 (6) को पढ़ने पर, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उपकुलपति, क़ानूनों के अभाव में, कुछ मामलों को विनियमित करने के लिए निर्देश जारी करने का हकदार हो सकता है, लेकिन यदि वह ऐसा करता है, तो उसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी लेनी होगी। लेकिन उच्च न्यायालय ने कई तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया।पहला यह है कि धारा 14 की उप-धारा (5) कुलपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान करती है और उप-धारा (14) कुलपति की अवशिष्ट शक्तियों को मान्यता देती है।दूसरा यह है कि उप-धारा (6) में भी "बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या अन्य" शब्दों का उपयोग किया गया है।

जी.

अनुमोदन के लिए संबंधित प्राधिकारी या निकाय।इसलिए, यह ए नहीं है

एच.

751

एपीजे अब्दुल कलाम तकनीक। विश्वविद्यालय बनाम एम. जी. एम. टी. और ई. एन. जी. जी. का जय भारत महाविद्यालय। तकनीक। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

यह आवश्यक है कि कुलपति, निर्देश जारी करने के बाद, अकेले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी ले।वह "अन्य संबंधित प्राधिकारी या निकाय" से अनुमोदन लेने का हकदार था।

31. इस मामले में, विश्वविद्यालय के सिंडिकेट में नौ व्यक्ति शामिल थे, जिनमें कुलपति, केरल सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, तकनीकी शिक्षा निदेशक और कुछ शिक्षाविद शामिल थे।अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता की मांग करने वाले कॉलेजों से सिंडिकेट केवल तीन सरल मानदंडों को पूरा करना चाहता था, अर्थात् (i) संबद्धता के लिए आवेदन करते समय निवर्तमान छात्रों के लिए 50 प्रतिशत से अधिक उत्तीर्ण होना; (ii) सबसे हाल के शैक्षणिक ऑडिट में कुल "अच्छा" अंक प्राप्त करना; और (iii) स्वीकृत प्रवेश के 50 प्रतिशत से अधिक का तीन साल का औसत प्रवेश।

बी.

सी.

32. जैसा कि हमने पहले देखा है, मानदंडों और मानकों को निर्धारित करने की शक्ति और कॉलेजों को स्वयं से संबद्ध करने की शक्ति, धारा 8 के खंड (iii) और (iv) से निकलती है।इस

शक्ति का प्रयोग विश्वविद्यालय द्वारा अधिनियम, क़ानून, अध्यादेश और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है।यह वही धारा 8 है जो विश्वविद्यालय को खंड (xvi) के तहत क़ानून, अध्यादेश और विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है।

डी.

33. धारा 22 विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों की बात करती है।धारा 22 के तहत, जैसा कि मूल रूप से इसका मसौदा तैयार किया गया था, विश्वविद्यालय में एक निदेशक मंडल, एक कार्यकारी समिति, शैक्षणिक समिति, अनुसंधान परिषद और ऐसे अन्य निकाय होंगे जो विश्वविद्यालय के प्राधिकरण होंगे।2015 के विश्वविद्यालय अधिनियम 17 को ए. पी. जे. अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित किया गया था।संशोधन अधिनियम, हालांकि केरल राजपत्र में 03.07.2018 पर अधिसूचित किया गया था, 08.12.2017 से लागू हुआ।इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से, 'शैक्षणिक समिति' का नाम बदलकर 'शैक्षणिक परिषद' कर दिया गया और 'कार्यकारी समिति' का नाम बदलकर 'सिंडिकेट' कर दिया गया।इसलिए, जहां भी अधिनियम में 'कार्यकारी समिति' के लिए कोई संदर्भ था, उसे 'सिंडिकेट' के संदर्भ के रूप में माना जाना था।

ई.

एफ.

जी.

34. धारा 30 (1) सिंडिकेट, कार्यपालिका पर निहित है

विश्वविद्यालय के संस्थानों पर सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण सहित विश्वविद्यालय की शक्तियाँ।धारा 30 की उप-धारा (2) में प्रावधानों के अधीन सिंडिकेट को उपलब्ध शक्तियों को सूचीबद्ध किया गया है।

एच.

अधिनियम और क़ानून।धारा 30 की उप-धारा (2) के खंड (iii) के तहत शक्ति प्रासंगिक है और यह निम्नानुसार है:-

“(2) इस अधिनियम और कानूनों के प्रावधानों के अधीन, सिंडिकेट के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

((i)

.....

बी.

((ख)।

((iii) संबद्ध महाविद्यालयों के लिए मानदंडों और मानकों का प्रस्ताव करना।

विश्वविद्यालय के नियमित महाविद्यालयों या स्वायत्त महाविद्यालयों या घटक महाविद्यालयों के रूप में।”

सी.

इस प्रकार, सिंडिकेट के लिए संबद्धता के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करने की शक्ति का स्रोत धारा 30 (2) है।धारा 30 (2) शुरू होती है

"अधिनियम और क़ानून के प्रावधानों के अधीन" शब्दों के साथ।इसलिए, यदि अधिनियम या क़ानूनों में कुछ ऐसा है जो सिंडिकेट की शक्ति को नियंत्रित या नियंत्रित करता है, तो सिंडिकेट इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन से बाध्य हो सकता है।लेकिन यदि अधिनियम/क़ानूनों में कुछ भी नहीं है या यदि कोई क़ानून बिल्कुल भी नहीं है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि शक्ति स्वयं अनुपलब्ध है।जो देखना महत्वपूर्ण है वह यह है कि की शक्ति

डी.

मानदंडों और मानकों का प्रस्ताव करने के लिए सिंडिकेट अधिनियम से बाहर निकलता है और

विश्वविद्यालय के कानूनों से बाहर नहीं।इसलिए, क़ानूनों की अनुपस्थिति, जब तक कि वे पहली बार 07.08.2020 पर नहीं बनाए गए थे, इसका मतलब यह नहीं था कि धारा 30 (2) के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता था।उच्च न्यायालय ने यह सोचने में गलती की कि क़ानूनों के अभाव में, धारा 14 (6) के तहत केवल कुलपति के लिए सहारा उपलब्ध था, एक पल के लिए इस बात की अनदेखी करते हुए कि धारा 30 (2) (iii) के तहत शक्ति क़ानूनों के अभाव के कारण अनुचित नहीं होगी।

ई.

35. अधिनियम की धारा 42 जो क़ानूनों के मुद्दे और उन मामलों के बारे में बात करती है जिनके लिए क़ानूनों में प्रावधान किए जा सकते हैं,

एफ.

यह स्पष्ट है कि "कॉलेजों की संबद्धता और कॉलेजों की संबद्धता को वापस लेने के लिए शर्तें और प्रक्रियाएं", मामलों में से एक है।

जिसका प्रावधान क़ानूनों में किया जा सकता है।यह धारा 42 के खंड (xi) के तहत है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि क़ानून संबद्धता के लिए शर्तों और प्रक्रिया का प्रावधान कर सकते हैं। क़ानूनों की अनुपस्थिति (07.08.2020 तक) का मतलब केवल संबद्धता के लिए संविधि-निर्धारित शर्तों और प्रक्रिया का अभाव होगा, लेकिन धारा 30 (2) (iii) से बाहर निकलने वाली सिंडिकेट की शक्ति का अभाव नहीं होगा।इसलिए, कुलपति के लिए इस आधार पर धारा 14 (6) से पीछे हटना आवश्यक नहीं था कि उस समय कोई क़ानून नहीं थे।

जी.

एच.

753

एपीजे अब्दुल कलाम तकनीक। विश्वविद्यालय बनाम एम. जी. एम. टी. और ई. एन. जी. जी. का जय भारत महाविद्यालय। तकनीक। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

ए.

36. एक क्षण के लिए यह मानते हुए भी कि क़ानूनों की अनुपस्थिति किसी को स्वचालित रूप से धारा 14 (6) तक ले जाएगी, उच्च न्यायालय द्वारा उससे लिया गया निष्कर्ष सही नहीं हो सकता है।धारा 14 (6) में कहा गया है कि एक क़ानून के अभाव में, यह कुलपति है जिसके पास किसी भी मामले को विनियमित करने की शक्ति है जिसे क़ानून या विनियमों द्वारा विनियमित किया जाना आवश्यक है।इसकी व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि क़ानूनों के अभाव में सिंडिकेट स्वयं शक्तिहीन हो जाएगा और कुलपति के पास शक्ति होगी।किसी भी मामले में, धारा 14 (6) की भाषा ऐसी है कि कुलपति पहले निर्देश जारी करके मामले को विनियमित कर सकते हैं और उसके बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या अन्य संबंधित प्राधिकरण या निकाय के अनुमोदन के लिए "जितनी जल्दी हो सके" प्रस्तुत कर सकते हैं।धारा 30 (2) (iii) के आधार पर, सिंडिकेट को धारा 14 (6) में निर्दिष्ट "अन्य प्राधिकरण" के रूप में लिया जा सकता है।यदि हम ऐसा करते हैं, तो यह देखा जा सकता है कि यह उपकुलपति की अध्यक्षता में सिंडिकेट था, जिसने 04.02.2020 और 24.06.2020 पर आयोजित अपनी बैठकों में विवादित निर्णय लिए और इसलिए उपकुलपति की अध्यक्षता में सिंडिकेट द्वारा मानदंडों के प्रिस्क्रिप्शन को अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं कहा जा सकता है।

बी.

सी.

डी.

37. किसी भी मामले में, एक बार जब क़ानून 07.08.2020 पर जारी किए गए, तो धारा 14 (6) द्वारा भरे जाने की मांग की गई रिक्तता भी गायब हो गई।अधिनियम की धारा 43 (1) के तहत, राज्य सरकार के पास विश्वविद्यालय के पहले क़ानून जारी करने की शक्ति है। तदनुसार, सरकार ने 07.08.2020 पर पहला क़ानून जारी किया।क़ानूनों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मानदंडों और मानकों को निर्धारित करने के लिए सिंडिकेट की शक्ति को कम करता प्रतीत होता है।धारा 42 के खंड (xi) के तहत, क़ानून संबद्धता के लिए शर्तों और प्रक्रिया का प्रावधान कर सकते हैं।लेकिन क़ानूनों में कोई शर्त नहीं दी गई है।ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय द्वारा भरोसा किए गए क़ानून No.93 ने शर्तों को निर्धारित करने के लिए इसे सिंडिकेट पर छोड़ दिया है।क़ानून No.93 इस प्रकार हैः

ई.

एफ.

“क़ानून 93 खंड (एक्सलिक्स)

विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, निम्नलिखित मैट्स और अन्य मैट्स में छूट या कमी प्रदान करना जो नीचे निर्दिष्ट नहीं हैंः

(a) XXXX

जी.

ख) XXXX

(c) XXXX

(घ) XXXX

ई) XXXX

एच.

च) XXXX

छ) किसी भी कॉलेज में आयोजित अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय से पहले से संबद्ध अध्ययन के पाठ्यक्रम में किसी भी विषय के लिए संबद्धता देने से संबंधित मामले।”

38. जब कानूनों ने संबद्धता के लिए कोई शर्त निर्धारित नहीं की है, लेकिन संबद्धता से संबंधित मामलों का ध्यान रखने के लिए इसे सिंडिकेट पर छोड़ दिया है, तो धारा 30 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर मानदंडों और मानकों को निर्धारित करने के लिए सिंडिकेट का कार्य किसी भी बंधन से मुक्त है।

बी.

39. इसलिए, कुलपतियों की अध्यक्षता में आई. डी. 1 पर आयोजित अपनी बैठक में सिंडिकेट द्वारा निर्धारित मानदंडों को अपवाद नहीं माना जा सकता था।आखिरकार, कॉलेजों ने जिन मानदंडों पर आपत्ति जताई है, वे केवल यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि निवर्तमान छात्रों में से कम से कम 50 प्रतिशत ने अपने-अपने पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण किया हो और संस्थान के पास पिछले तीन वर्षों में औसतन स्वीकृत प्रवेश के 50 प्रतिशत से अधिक का वास्तविक प्रवेश होने के अलावा "अच्छा" का सबसे हालिया शैक्षणिक लेखा परीक्षा समग्र अंक होना चाहिए।हम यह समझने में विफल हैं कि कॉलेज अतिरिक्त पाठ्यक्रम बनाने के लिए संबद्धता की मांग कैसे कर सकते हैं, जबकि निवर्तमान छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम है और कॉलेजों में पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत प्रवेश के 50 प्रतिशत से अधिक का औसत प्रवेश भी नहीं हो सका है।

सी.

डी.

ई.

40. इसलिए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने पहले मुद्दे पर यह निर्णय देने में गलती की थी कि अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता प्रदान करने के लिए मानदंडों और मानकों को निर्धारित करने वाले सिंडिकेट द्वारा पारित प्रस्ताव अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

41. आइए अब हम अपीलार्थी-विश्वविद्यालय बनाम ए. आई. सी. टी. ई. की भूमिका के इर्द-गिर्द घूमने वाले दूसरे मुद्दे पर विचार करें। थोड़ा विस्तार आवश्यक हो सकता है क्योंकि यह मुद्दा अक्सर बार-बार आता रहता है।

एफ.

42. ए. आई. सी. टी. ई. की स्थापना वास्तव में 1945 में एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ निकाय के रूप में केंद्र और राज्य सरकारों को अनुमोदित मानकों के अनुसार तकनीकी शिक्षा के समन्वित विकास को सुनिश्चित करने के लिए सलाह देने के लिए की गई थी।निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक के बढ़ते विकास और मानकों के बढ़ते क्षरण के बाद, परिषद ने यह आवश्यक महसूस किया कि उसे देश में तकनीकी शिक्षा के मानकों को विनियमित करने और बनाए रखने के लिए वैधानिक शक्तियां दी जानी चाहिए।इसलिए नवंबर, 1985 में एक

राष्ट्रीय कार्य समूह की स्थापना की गई थी।राष्ट्रीय कार्य ए द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर

जी.

एच.

755

एपीजे अब्दुल कलाम तकनीक। विश्वविद्यालय बनाम एम. जी. एम. टी. और ई. एन. जी. जी. का जय भारत महाविद्यालय। तकनीक। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

समूह, ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम, 1987 लागू किया गया था।ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 23 (1) परिषद को आम तौर पर अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के साथ असंगत विनियम बनाने का अधिकार देती है। अधिनियम की धारा 10 (1) परिषद को तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के समन्वित और एकीकृत विकास और मानकों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाने का कर्तव्य प्रदान करती है।धारा 10 की उप-धारा (1) का खंड (i) परिषद को पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, भौतिक और उपकरण सुविधाओं, कर्मचारियों के पैटर्न, कर्मचारियों की योग्यता, गुणवत्ता निर्देशों, मूल्यांकन और परीक्षाओं के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करने का अधिकार देता है।खंड (ओ) परिषद को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले तकनीकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करने का अधिकार देता है।धारा 10 की उप-धारा (1) का खंड (के) परिषद को नए तकनीकी संस्थान शुरू करने और संबंधित एजेंसियों के परामर्श से नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम शुरू करने के लिए मंजूरी देने का अधिकार देता है।

बी.

सी.

43. यह ध्यान रखना दिलचस्प होगा कि धारा 23 की उप-धारा (2), जो उन मामलों को सूचीबद्ध करती है जो ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा बनाए गए विनियमों में प्रदान किए जा सकते हैं, में धारा 10 (1) में इंगित किसी भी शक्ति को शामिल नहीं किया गया है।धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ए) से खंड (ई) परिषद की बैठकों को विनियमित करने के तरीके, परिषद की बैठकों में कार्य संचालन की प्रक्रिया, परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के नियम और शर्तें, अध्ययन बोर्ड के गठन और शक्तियों आदि से संबंधित हैं। लेकिन धारा 23 की उप-धारा (2) यह स्पष्ट करती है कि उसमें सूचीबद्ध मदें अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उप-धारा (1) के तहत विनियम बनाने की शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हैं। यही कारण है कि सभी विनियम ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा

धारा 10 की उप-धारा (1) के प्रासंगिक खंडों के साथ पठित धारा 23 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए जाते हैं।

डी.

ई.

एफ.

44. ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम का पता संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-I की प्रविष्टि 66 से लगाया जाना है।केरल राज्य विधानमंडल द्वारा जारी ए. पी. जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम का पता सूची-III की प्रविष्टि 25 से लगाया जा सकता है।

जी.

45. आर**.** चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य और अन्य **1** में**,**

इस न्यायालय की संविधान पीठ ने बताया कि इस संबंध में प्रश्न

1 ए. आई. आर 1964 एस. सी 1823

एच.

सूची-III की प्रविष्टि-25 पर सूची-I की प्रविष्टि 66 का प्रभाव केंद्रीय अधिनियम और राज्य अधिनियम को संयुक्त रूप से पढ़कर निर्धारित किया जाना चाहिए।अदालत ने

यह इंगित किया गया कि सूची-I की प्रविष्टि 66 को ध्यान में रखते हुए ऐसे मानकों के लिए प्रावधान करने वाले राज्य कानून को केवल तभी असंवैधानिक के रूप में निरस्त किया जाएगा जब वह इतना भारी या विनाशकारी पाया जाता है कि केंद्रीय क्षेत्र को मिटा देता है या काफी कम कर देता है और अन्यथा नहीं।अदालत ने

बी.

यह भी बताया गया कि यदि कोई राज्य का कानून कॉलेजों में प्रवेश के मामले में पाठ्येतर गतिविधियों के लिए उच्च प्रतिशत अंक निर्धारित करता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह सूची-I की प्रविष्टि 66 द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में अतिक्रमण होगा।

46. आर. चित्रलेखा (उपरोक्त) मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का कई मामलों में पालन किया गया, जिसमें ए. पी. बनाम ए. पी. राज्य का मामला भी शामिल है।के.

सी.

पुरुषोत्तम रेड्डी और अन्य **2.**के**.** पुरुषोत्तम में निर्णय

रेड्डी (सुप्रा) का उदय बहुत ही विचित्र परिस्थितियों में हुआ।आंध्र प्रदेश राज्य ने वर्ष 1986 में एक अधिनियम लागू किया, जिसे आंध्र प्रदेश उच्च शिक्षा आयुक्तालय अधिनियम, 1986 के रूप में जाना जाता है।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 को देखते हुए विधायी क्षमता की कमी के आधार पर उक्त अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया था।हालांकि उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने चुनौती को खारिज कर दिया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया।

डी.

उस्मानिया विश्वविद्यालय शिक्षक संघ बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 3 में अपने निर्णय द्वारा।इसके बाद, सरकार ने

ई.

आंध्र प्रदेश ने आंध्र प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम, 1988 लागू किया।इस अधिनियम को उच्च न्यायालय द्वारा उसी आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया था, जिस आधार पर इस न्यायालय द्वारा 1986 के अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया गया था।इसलिए इस मामले को इस अदालत में ले जाया गया।इस न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने शुद्धता पर संदेह व्यक्त किया

उस्मानिया विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (ऊपर) में निर्णय का,

एफ.

और इसलिए, मामला तीन सदस्यीय पीठ को भेजा गया था।तीन सदस्यीय पीठ ने आर. चित्रलेखा (उपरोक्त) में निर्णय का पालन करते हुए राज्य अधिनियम को चुनौती देने को खारिज कर दिया और कहा कि जब कोई राज्य अधिनियम संसदीय अधिनियम की सहायता करता है, तो वह बाद वाले पर लागू नहीं होगा।

जी.

47. कानून अब काफी अच्छी तरह से तय हो गया है कि विश्वविद्यालयों के लिए एआईसीटीई द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों को कम करने के लिए खुला नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालयों के लिए हमेशा उन्नत मानदंडों को निर्धारित करने के लिए खुला है।के रूप में

2 (2003) 9 एससीसी 564 3 (1987) 4 एससीसी 671 ए

एच.

एपीजे अब्दुल कलाम तकनीक। विश्वविद्यालय बनाम एम. जी. एम. टी. और ई. एन. जी. जी. का जय भारत महाविद्यालय। तकनीक। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

ए. आई. सी. टी. ई. की तुलना में विश्वविद्यालयों की भूमिका के संबंध में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया

भारतीदासन विश्वविद्यालय और एक अन्य बनाम अखिल भारतीय परिषद

तकनीकी शिक्षा और अन्य 4, कि ए. आई. सी. टी. ई. एक ऐसी महाशक्ति नहीं है जिसकी विनाशकारी भूमिका विश्वविद्यालयों को सौंपे गए क्षेत्रों और क्षेत्रों में उनकी स्थिति, अधिकार और स्वायत्त कार्यप्रणाली को कम करती है।

इस विचार का पालन निजी महाविद्यालयों के प्रबंधन संघ बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और अन्य 5 में किया गया था।

बी.

48. यह कि राज्य सरकार भी ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित मानकों की तुलना में उच्च मानकों को निर्धारित कर सकती है, 3 सदस्यीय पीठ द्वारा मान्यता प्राप्त थी।

टी. एन. राज्य में इस न्यायालय का और एक अन्य बनाम। एस. वी. ब्रतीप (माइनर)

और अन्य **6.**यह सिद्धांत बाद में विश्वविद्यालयों के मामले में लागू किया गया था।

सी.

विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और एक अन्य बनाम।

कृष्णेन्दु हलदर और अन्य 7 जहां इस न्यायालय ने पिछले निर्णयों पर विचार किया और उनसे उत्पन्न होने वाली कानूनी स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया:

(i) उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करते समय, राज्य/विश्वविद्यालय केंद्रीय निकाय/ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। "मानकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला" शब्द केंद्रीय निकाय/ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित मानदंडों को कम करने को संदर्भित करता है। उच्च शिक्षा में उच्च मानकों और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के अनुरूप, ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित योग्यताओं के अलावा या उससे अधिक योग्यता निर्धारित करके प्रवेश के लिए उच्च मानकों को निर्धारित करना, केंद्रीय निकाय/ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं माना जाएगा।

डी.

ई.

(ii) अधियामन के पैरा 41 (vi) में इस आशय का अवलोकन कि जहां सीटें खाली रहती हैं, राज्य के अधिकारी एआईसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों को पूरा करने वाले किसी भी छात्र को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते हैं, भले ही वह इसके मानकों के अनुसार योग्य न हो, यह अच्छा कानून नहीं है।

एफ.

(iii) तथ्य यह है कि किसी विशेष वर्ष में रिक्त सीटें हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उस वर्ष में, राज्य द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड /

जी.

4 (2001) 8 एस. सी. सी. 676 5 (2013) 8 एस. सी. सी. 271 6 (2004) 4 एस. सी. सी. 513 7 (2011) 4 एस. सी. सी. 606

एच.

विश्वविद्यालय आवेदन करना बंद कर देगा या अकेले ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा सुझाए गए न्यूनतम पात्रता मानदंड लागू होंगे।जब तक राज्य या विश्वविद्यालय उनके द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को संशोधित करने का विकल्प नहीं चुनते हैं, तब तक वे इस तथ्य के बावजूद आवेदन करना जारी रखेंगे कि किसी भी वर्ष में रिक्तियां या खाली सीटें हैं।पात्रता मानदंड निर्धारित करने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना नहीं है कि कॉलेजों में सभी सीटें भरी जाएं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उच्च शिक्षा के मानकों में उत्कृष्टता बनी रहे।

बी.

(iv) राज्य/विश्वविद्यालय (साथ ही ए. आई. सी. टी. ई.) को समय-समय पर (ऐसे अंतरालों पर जो वे उचित समझते हैं) प्रवेश के लिए पात्रता मानदंडों के निर्धारण की समीक्षा करनी चाहिए, संतुलन में रखते हुए, एक ओर उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता और उच्च मानक बनाए रखने की आवश्यकता, और दूसरी ओर राज्य में उपलब्ध सीटों की कुल संख्या और प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों की संख्या के बीच एक स्वस्थ अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता।यदि आवश्यक हो, तो वे पात्रता मानदंडों को संशोधित कर सकते हैं ताकि शिक्षा में उत्कृष्टता जारी रहे और साथ ही योग्यता परीक्षाओं में अंकों के प्राप्य मानकों के बारे में यथार्थवादी रहें।

सी.

डी.

49. विश्वेश्वरैया (ऊपर) सिद्धांतों को महात्मा में दोहराया गया था।

गांधी विश्वविद्यालय और एक अन्य बनाम जिक्कू पॉल और अन्य **8.**द**.**

विश्वेश्वरैया **(**उपरोक्त**)** में रिपोर्ट के पैराग्राफ **14** में संक्षेपित कानूनी स्थिति को संविधान द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था।

ई.

आधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य में पीठ **9.**आधुनिक दंत महाविद्यालय में

(ऊपर), मुद्दा सं। संविधान पीठ द्वारा विचार के लिए तैयार किया गया चौथा (जैसा कि बहुमत की राय में परिलक्षित होता है) इस बारे में था कि क्या

विचाराधीन विधान विधायी क्षमता से परे था

एफ.

मध्य प्रदेश राज्य "।इस मुद्दे का जवाब देते समय**,** बहुमत की राय इस आशय की थी कि **(i)** डॉ**.** प्रीति श्रीवास्तव और एक अन्य बनाम एम**.** पी**.** राज्य में निर्णय। और अन्य **10** ने राज्यों की भूमिका को प्रवेश से पूरी तरह से बाहर नहीं किया**;** और **(ii)** कि

भारती विद्यापीठ **(**मानद विश्वविद्यालय**)** और अन्य बनाम राज्य

महाराष्ट्र और अन्य **11** जैसे कि प्रवेश के पूरे सरगम को सूची**-I** की प्रविष्टि **66** द्वारा कवर किया गया था**,** को खारिज किया जाना चाहिए।सहमति में

जी.

8 (2011) 15 एस. सी. सी. 242 9 (2016) 7 एस. सी. सी. 353 10 (1999) 7 एस. सी. सी. 120 11 (2004) 11 एस. सी. सी. 755 ए

एच.

759

एपीजे अब्दुल कलाम तकनीक। विश्वविद्यालय बनाम एम. जी. एम. टी. और ई. एन. जी. जी. का जय भारत महाविद्यालय। तकनीक। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

और मॉडर्न डेंटल कॉलेज **(**ऊपर**)** में आर**.** भानुमति**,** जे**.** द्वारा दी गई राय के पूरक के रूप में**,** विश्वेश्वरैया **(**ऊपर**)** में प्रतिपादित कानूनी स्थिति को निकाला गया और उसका पालन किया गया।

50. लेकिन उच्च न्यायालय ने (i) में निर्णयों पर भरोसा रखा।

जया गोकुल एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम आयुक्त और सचिव, सरकारी उच्च शिक्षा विभाग, तिरुवनंतपुरम, केरल राज्य और अन्य **12, (ii)** माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज बनाम बिहार राज्य और अन्य **13** और **(iii)** रूंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज, भिलाई और अन्य बनाम।छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय और अन्य **14,** अनुच्छेद **33** से **35** में आयोजित किए जाएंगे

बी.

यह विवादित निर्णय कि विश्वविद्यालय के पास संबद्धता के लिए किसी भी अतिरिक्त शर्तों को शामिल करने की शक्ति नहीं है और यह कि ए. आई. सी. टी. ई. विनियम और अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका एक पूर्ण संहिता का गठन करती है जिसमें एक बेहतर बल होता है।

सी.

51. लेकिन उच्च न्यायालय को ध्यान देना चाहिए था कि उपरोक्त सभी 3 निर्णय अलग-अलग हैं।जय गोकुल एजुकेशनल ट्रस्ट (उपरोक्त) में, इस सवाल का जवाब संस्थान के पक्ष में दिया गया कि क्या राज्य सरकार, नीति के रूप में, एक नए इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए मंजूरी देने से इनकार कर सकती है, राज्य सरकार की धारणा को देखते हुए कि एक नया कॉलेज खोलना छात्रों और रोजगार के हित में नहीं होगा।

डी.

ई.

52. इसके बाद, भारतीदासन विश्वविद्यालय (ऊपर) में, सर्वोच्च न्यायालय ने जया गोकुल एजुकेशनल ट्रस्ट (ऊपर) का उल्लेख किया और

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम के प्रावधानों और यू. जी. सी. अधिनियम के प्रावधानों की सावधानीपूर्वक जांच करने से पता चलेगा कि विश्वविद्यालयों की तुलना में ए. आई. सी. टी. ई. की भूमिका केवल सलाहकार, अनुशंसा करने वाला और एक मार्गदर्शक कारक है।इसलिए, इस मुद्दे पर, जया गोकुल पहले प्रत्यर्थी की कोई सहायता नहीं कर रही हैं।माता गुजरी

एफ.

मेमोरियल मेडिकल कॉलेज ने भारतीदासन विश्वविद्यालय के संदर्भ के बिना जया गोकुल का अनुसरण किया।किसी भी मामले में, आज की तारीख में विश्वेश्वरैया, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और आधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय

लेकिन जाहिर है, उन्हें उच्च न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था।

जी.

12 (2000) 5 एस. सी. सी. 231 13 (2009) 16 एस. सी. सी. 309 14 (2015) 11 एस. सी. सी. 291

एच.

760 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 13 एस. सी. आर.

53. रूंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज (ऊपर) में, जिस पर उच्च

न्यायालय ने भारी निर्भरता रखी, इस न्यायालय ने राज्य में निर्णयों पर भरोसा किया

टी. एन. और एक अन्य बनाम। अधियामन एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और अन्य **15** और जया गोकुल।अधियामन में, यह न्यायालय

अभिनिर्धारित किया कि तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के मामले में, यह विश्वविद्यालय अधिनियम और विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि केंद्रीय अधिनियम और इसके तहत बनाई गई परिषद का अधिकार क्षेत्र होगा।

बी.

54. रूंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज ने भारतीदासन विश्वविद्यालय, बी. वी. ब्रतीप, विश्वेश्वरैया और अन्य पर ध्यान नहीं दिया।

महात्मा गांधी विश्वविद्यालय।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि यह कानून में सही स्थिति को दर्शाता है।

सी.

55. काफी दुर्भाग्य से ए. आई. सी. टी. ई. ने इस अदालत के समक्ष एक जवाबी हलफनामा दायर किया है जिसमें पहले प्रत्यर्थी कॉलेज के मामले का समर्थन किया गया है और विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त मानदंडों और शर्तों के निर्धारण को अनुचित बताया गया है।ए. आई. सी. टी. ई. की ओर से इस तरह के रुख ने हमें ए. आई. सी. टी. ई. के मोर्चे पर 2012 के बाद हुए कुछ घटनाक्रमों पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है।

डी.

56. ए. आई. सी. टी. ई. विनियम, 2012 के आगमन के बाद, अनुमोदन के विस्तार के लिए आवेदनों को ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा केवल ऑनलाइन संसाधित किया जाता है, केवल कॉलेजों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदनों में किए गए स्व-प्रकटीकरण के आधार पर।यदि ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित सभी अवसंरचनात्मक सुविधाएं कागज पर उपलब्ध पाई जाती हैं (चाहे वे स्थल पर उपलब्ध हों या नहीं), तो ए. आई. सी. टी. ई. अनुमोदन का विस्तार प्रदान करता है।

ई.

57. 2012 से स्थिति यह रही है कि अनुमोदन/अनुमोदन के विस्तार के लिए सभी आवेदनों को ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा केवल ऑनलाइन संसाधित किया जाता है।ए. आई. सी. टी. ई. विनियम, 2020 भी विनियम 5.6 के तहत आवश्यक है।a. कि मौजूदा संस्थानों को अपनी विशिष्ट उपयोगकर्ता आईडी का उपयोग करके आवेदन जमा करने चाहिए। विनियम 6.3।क. में कहा गया है कि मौजूदा संस्थानों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों को यह पुष्टि करने के बाद संसाधित किया जाएगा कि आवेदक ने अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से सभी मानदंडों और मानकों को पूरा किया है।2020-21 के लिए अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अध्याय II में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुमोदन का विस्तार स्व-प्रकटीकरण पर आधारित होगा।ए. आई. सी. टी. ई. के जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 13 में खंड 2.15 का एक उद्धरण है।4(ख) ए. पी. एच. 2020-21, जो पुष्टि करता है कि मूल्यांकन ए. आई. सी. टी. ई. वेब पोर्टल पर स्व-प्रकटीकरण पर आधारित है।

एफ.

जी.

15 (1995) 4 एससीसी 104 ए

एच.

761

एपीजे अब्दुल कलाम तकनीक। विश्वविद्यालय बनाम एम. जी. एम. टी. और ई. एन. जी. जी. का जय भारत महाविद्यालय। तकनीक। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

58. हालांकि ए. आई. सी. टी. ई. ने गलत घोषणाओं के लिए निरीक्षण करने और कॉलेजों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की शक्ति अपने पास सुरक्षित रखी है, लेकिन इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है और उन छात्रों के लिए कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है जो उन कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं जिनके पास केवल कागज पर आवश्यक बुनियादी ढांचा होता है और साइट पर नहीं होता है।ए. आई. सी. टी. ई. के विनियम इस बारे में चुप हैं कि छात्रों को मुआवजा कैसे मिलेगा, जब ए. आई. सी. टी. ई. को अपने आवेदनों में ऑनलाइन गलत जानकारी देने वाले कॉलेजों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। अंततः, यह विश्वविद्यालय हैं जो डिग्री जारी करने के लिए बाध्य हैं और जिनकी प्रतिष्ठा छात्रों के भाग्य और प्रदर्शन के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई है, जिन्हें संगीत का सामना करना पड़ सकता है और इसलिए उनकी भूमिका को कम नहीं किया जा सकता है।आज विश्वविद्यालयों को भी उनके द्वारा बनाए गए मानकों की गुणवत्ता के अनुसार स्थान दिया जा रहा है।भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सितंबर 2015 में भारत में विश्वविद्यालयों सहित संस्थानों की रैंकिंग के लिए एक पहल शुरू की, जिसे राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एन.

आई. आर. एफ.) के रूप में जाना जाता है।रैंकिंग कुछ मापदंडों पर आधारित है जैसे किः(i) शिक्षण, अधिगम और संसाधन; (ii) अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास; (iii) स्नातक परिणाम; (iv) पहुंच और समावेशिता; और (v) साथियों की धारणा।आज जब उनके अपने प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय मानकों द्वारा मापा जा रहा है, तो कोई भी राज्य संचालित विश्वविद्यालय सुस्त रवैया नहीं रख सकता है।इसलिए, उन्नत मानदंड और मानक निर्धारित करने की विश्वविद्यालयों की शक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

59. ऐसी परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि केरल उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय के अनुच्छेद 33 से 35 में लिया गया दृष्टिकोण सं.2, अस्थिर है।दोहराव की कीमत पर, हम बताते हैं कि विश्वविद्यालय ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित मानकों को कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके पास निश्चित रूप से उन्नत मानदंडों और मानकों को निर्धारित करने की शक्ति है।

एफ.

60. तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को खारिज कर दिया जाता है।सिंडिकेट द्वारा 04.02.2020 दिनांकित पिछले प्रस्ताव के संशोधन में 24.06.2020 पर पारित प्रस्ताव को बरकरार रखा गया है।एक परिणाम के रूप में, प्रथम प्रतिवादी-कॉलेज के संबंध में विश्वविद्यालय की परिणामी कार्रवाई, यदि कोई हो, को भी बरकरार रखा जाता है।अभियोग/हस्तक्षेप के लिए आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं और अन्य लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

जी.

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई

एच.